न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

दिनांकः— 24.06.2026

परिवादिया एक्स मय अधिवक्ता श्री फिरोज खान हाजिर अदालत। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो।

पीड़ित पक्ष की ओर से प्रस्तुत परिवाद को अन्वेषण हेतु पुलिस थाना भेजे जाने के संबंध में हमारे द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः—

01. **ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर 2014 सुप्रीम कोर्ट 187**
02. **प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 560 निर्णित दिनांक 17.03.2025**
03. **राहुल राजपूत बनाम राजस्थान राज्य 2022**
04. **एक्स, वाई, जेड बनाम मध्यप्रदेश राज्य व अन्य, एआईआर, 2022 एस.सी. 676**

परिवादिया पक्ष को सुने जाने के उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा जो कि शपथ पत्र से समर्थित है, में वर्णित तथ्यों से हम संतुष्ट है जिनका दोहराव परिवादिया ने मौखिक परीक्षण के दौरान बखूबी किया है, जिससे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से उजागर हो रहे हैं।

बहरहाल उपरोक्त तथ्यों के संबंध में बेहतर एवं उम्दा अन्वेषण धरातल पर होना अनिवार्य है। ऐसे में उपरोक्त विवेचना के

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

मद्देनजर परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में उजागर हो रहे संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस एजेंसी से धरातलीय अन्वेषण करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हस्तगत परिवाद पत्र धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि प्रेषित किए जाने वाले इस्तगासा में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में संबंधित के विरूद्व **तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान नतीजा अविलम्ब अन्यथा अधिकतम दो माह के भीतर पूर्ण कर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करें।**

गौरतलब है कि हस्तगत प्रकरण में पीड़ित के साथ महिला लज्जाभंग जैसा गम्भीर अपराध होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा इस दिशा में अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाना भी स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है। इस सम्बन्ध में सुविधा की दृष्टि से उक्त धारा का उल्लेख किया जा रहा हैः—

धारा 199(क)(ग):— लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है, — जो कोई, लोक सेवक होते हुए —

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किये जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुये अवज्ञा करेगा, या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुये अवज्ञा करेगा, या

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

(ग) धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124, धारा 143 या धारा 144 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा,

वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

नोटः— धारा 199 के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर द्वारा स्पष्ट रूप से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 199(क)(ग) की स्पष्ट रूप से अवज्ञा किया जाना जाहिरा प्रकट होता है जिसके लिये अभिलेख पर निम्नलिखित सामग्री मौजूद हैः—

1. हस्तगत प्रकरण की पीड़िता एक्स द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के समक्ष संज्ञेय अपराध की जो लिखित इत्तला प्रस्तुत की है, उसके सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, गंगानगर द्वारा दिनांक 16.04.2026 को परिवाद की प्राप्ति रसीद भी दी है जिस पर क्रमांक 934 दिनांकित 16.04.2026 का अंकन है। इस प्रकार संज्ञेय अपराध की इत्तला दिनांक 16.04.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ के संज्ञान में आ जाना स्पष्ट रूप से दर्शित है।

2. हस्तगत प्रकरण की पीड़िता एक्स द्वारा दिनांक 17.04.2026 को जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को भी संज्ञेय अपराध की

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

इत्तला अन्तर्गत धारा 173(3) बीएनएसएस 2023 के तहत् भेजा जाना स्पष्ट रूप से साबित है और अंततः जब पीड़िता द्वारा दी गई संज्ञेय अपराध की ईत्तिला में थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तब अंततः परिवादिया ने न्यायालय की शरण लेते हुये दिनांक 27.04.2026 को इस्तगासा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 30.04.2026 के माध्यम से थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर से पीड़िता एक्स द्वारा दी गई संज्ञेय अपराध की ईत्तिला के सम्बन्ध में आज्ञापक विधिक प्रावधान होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज न किये जाने बाबत् जो रिपोर्ट तलब की है वह पत्र क्रमांक 454 दिनांकित 12.05.2026 के माध्यम से तलब की है। यह रिपोर्ट भी अभिलेख पर मौजूद है इस रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर से निम्नलिखित चार बिन्दुओं के सम्बन्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

1. **परिवादिया से सम्बन्धित थाना में परिवाद कब प्राप्त हुआ?**
2. **परिवाद थाने में प्राप्त होने पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई?**
3. **प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर थानाधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य एआईआर 2012 एस.सी. 1515 में दिये गये दिशा—निर्देशों की अवहेलना की है, क्यों न थानाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे?**

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

4. परिवाद में यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसका कारण न्यायालय में पेश करें और यदि कोई कार्यवाही/जांच की गई है तो अविलम्ब जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें और दिनांक 14.05.2026 तक उक्त चारों बिन्दुओं के सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर को उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया था।

4. बिन्दु संख्या 3 के अनुक्रम में थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर की ओर से जो रिपोर्ट न्यायालय द्वारा जारी की गई **उक्त वर्णित तहरीर की पुश्त पर की गई वह इस प्रकार रही है "आरती/रामू कुम्हार के सम्बन्ध में थाना हाजा पर एक परिवाद श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कार्यालय श्रीगंगानगर से क्रमांक नम्बर 2004 दिनांक 23.04.2026 दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त हुआ। परिवाद जांच हेतु श्री रमेश एचसी 2301 को सुपुर्द की गई। परिवाद में जांच जारी है।"**

इस प्रकार थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर को न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवसर दिये जाने के बावजूद भी उसने केवल उक्त वर्णित पक्ष ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है अन्य कोई पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हस्तगत प्रकरण में, जबकि महिला के साथ संज्ञेय अपराध की लिखित इत्तला थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ को बखूबी दिनांक 16.04.2026 एवं दिनांक 28.04.2026 को मिल चुकी थी तब भी क्या इस प्रकरण में जांच किया जाना मुनासिब या विधिसम्मत था, तो इसका प्रतिउत्तर विधि की रोशनी में स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय न्याय

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

संहिता 2023 की धारा 199(ग) में लोकसेवक को वैध रूप से आबद्ध किया गया है कि वह इस श्रेणी में वर्गीकृत महिला अपराधों के सम्बन्ध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करें ऐसे में श्री दिनेश सारण तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर विधिक रूप से आबद्ध था कि हरसूरत में उसके द्वारा पीड़िता द्वारा दी गई इत्तला के सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज की जाती परन्तु उसने ऐसा नहीं किया, जो जांच का विकल्प थानाधिकारी द्वारा चयन किया गया है प्रथमतः तो वह विधि विरूद्ध है और द्वितीयतः यदि जांच करने का भी निर्णय लिया गया था तो भी उपर्युक्त वर्णित कानूनन पहलुओं की रोशनी में जांच किये जाने के सम्बन्ध में सकारण आदेश पारित किया जाना चाहिये था और उस सकारण आदेश को सम्बन्धित दिवस के रोजनामचा में इन्द्राज किया जाना चाहिये था और तृतीयतः जांच प्रारम्भ किये जाने से प्रथम पन्द्रह दिवस के भीतर यह निर्णय किया जाना चाहिये था कि पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत/तहरीर रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का खुलासा हो रहा है अथवा नहीं परन्तु जो जांच प्रथम जांच अधिकारी एवं वृत्ताधिकारी द्वारा की गई है उसके अवलोकन से तो यह दर्शित होता है कि इस जांच में जांच अधिकारियों द्वारा शिकायत की सच्चाई/सत्यता को जांचा जा रहा था जो कि कदापि स्वीकार किये जाने योग्य तथ्य नहीं है।

इस न्यायालय के विनम्र मत में श्री दिनेश सारण, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ द्वारा धारा 199(क)(ग) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध तो उसी समय प्रथम दृष्टया कर दिया था जब उसे संज्ञेय अपराध की इत्तला न केवल पीड़िता से अपितु पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस प्राधिकारी से एवं न्यायालय

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

से मिली और उसने एफआईआर दर्ज न किये जाने की अपेक्षा जांच करने अथवा जांच को आगे बढ़ाने के विकल्प का चयन किया।

बहरहाल हस्तगत मामले में तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर नजर आती है यथा न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 14.05.2026 के माध्यम से उक्त समस्त हालातों तथा विधि की स्पष्ट अवज्ञा को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को लिखित में तहरीर जारी कर जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसके अनुक्रम में दिनांक 27.05.2026 को न्यायालय के समक्ष पुलिस उपअधीक्षक सूरतगढ़ की जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अभिलेख पर कार्यालय एसपी श्रीगंगानगर द्वारा न्यायालय को भेजी गई इत्तला की प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 1516—17 दिनांकित 25.05.2026 मौजूद है जिसके माध्यम से जिला एसपी श्रीगंगानगर द्वारा पुलिस उपअधीक्षक वृत्त सूरतगढ़ श्रीगंगानगर को न्यायालय द्वारा जिला एसपी को जारी आदेशों की अनुपालना में हस्तगत मामले की जांच किये जाने हेतु नियुक्त किया गया था जो जांच रिपोर्ट वृत्ताधिकारी वृत्त सूरतगढ़ की ओर से जरिये पत्र क्रमांक 3186—87 दिनांकित 27.05.2026 प्रस्तुत की गई है उसका जब हम अवलोकन करते हैं तो वृत्ताधिकारी द्वारा न्यायालय को अपनी जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया गया है कि ''**थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित परिवाद आरती बनाम रामू कुम्हार अपराध अन्तर्गत धारा 74, 78, 79, 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता की परिवाद प्राप्त होने पर जांच श्री रमेशचन्द हैड**

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

कानिस्टेबल 2301 को सुपुर्द की गई। दौराने जांच परिवादिया ने लिखित में दिया कि मैं थाना पर सीधी कोई जांच नहीं करवाना चाहती हूं। माननीय न्यायालय से इस्तगासा आने पर ही जांच करवाउंगी जिस कारण विस्तृत जांच करने में मजबूरी रही।''

इस प्रकार यह भी स्पष्ट विदित होता है कि न केवल थानाधिकारी अपितु जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर एवं वृत्ताधिकारी वृत्त सूरतगढ़ को न केवल प्रकरण की पीड़िता अपितु न्यायालय द्वारा भेजे गये पत्राचार से भी यह संज्ञानित हो चुका था कि संज्ञेय अपराध विशिष्ट रूप से जो महिला दुराचार से सम्बन्धित है, उसमें विधि के निर्देशों की स्पष्ट अवज्ञा थानाधिकारी सूरतगढ़ शहर द्वारा की जा रही है ऐसे में जिला एसपी एवं वृत्त मुखिया पुलिस उपअधीक्षक भी वैध रूप से आबद्ध थे कि वे थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये पीड़िता के प्रकरण में एफआईआर पंजीबद्ध किये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ को आज्ञापक निर्देश जारी करते परन्तु यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि दोनों ही वरिष्ठ पुलिस प्राधिकारियों द्वारा भी प्रथम दृष्टया अपने वैध कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरता जाना स्पष्टतः दर्शित है।

इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य भी निकलकर सामने आता है कि वृत्ताधिकारी वृत्त सूरतगढ़ द्वारा की जा रही जांच में थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, श्रीगंगानगर दिनेश सारण, पुलिस निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक 2677 दिनांकित 26.05.2026 प्रस्तुत करते हुये अपना पक्ष इस प्रकार से रखा है कि

"दिनांक 28.04.2026 को परिवादिया आरती का परिवाद प्राप्त होने पर जांच श्री रमेशचन्द्र हैड कानि. 2301 को सुपुर्द की गई। दौराने जांच परिवादिया ने लिखित में दिया था कि थाना पर सीधी कोई जांच वह नहीं करवाना चाहती है, माननीय न्यायालय से इस्तगासा आने पर ही जांच करवायेगी। जिस कारण से विस्तृत जांच करने में मजबूरी रही।" इस रिपोर्ट से तो यह साबित होता है कि सीओ सूरतगढ़ द्वारा स्वयं थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर को ही उसी के विरूद्ध की जा रही जांच में उसे ही जांच का जिम्मा सौंप दिया था।

बहरहाल अब यदि हम इस तथ्य पर गौर करें कि प्रकरण की पीड़िता ने थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ के समक्ष कोई लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया तो अब यह देखना भी अतिआवश्यक है कि इसका इस प्रकरण पर क्या प्रभाव है और इससे क्या विधि द्वारा अभिव्यक्त अपराध को दरकिनार किया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में इस न्यायालय की सुदृढ़ राय में इस प्रार्थना पत्र के आधार पर भी अपराध की गम्भीरता लेशमात्र भी कम नहीं हो जाती है क्योंकि यदि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर भी हम गौर करें तो यह प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के समक्ष दिया जाना प्रकट होता है। उपस्थित पीड़िता ने हालांकि यह कथन किया है कि उसे तो पुलिस वालों ने यह कहकर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे कि उसके मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है। बहरहाल यदि हम ये माने भी कि पीड़िता जो कि अनपढ़ है, असाक्षर

है, ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं लिख दिया या किसी से लिखवा दिया था तो भी अभिलेख पर मौजूद सामग्री मुताबिक दिनांक 16.04.2026, जबकि संज्ञेय अपराध की इत्तिला पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर पर प्राप्त होने की पावती रसीद, दिनांक 17.04.2026 जिला एसपी श्रीगंगानगर को जरिये डाक संज्ञेय अपराध की इत्तला भेजे जाने की डाक रसीद एवं स्वयं थानाधिकारी सूरतगढ़ शहर श्री दिनेश सारण, वृत्ताधिकारी श्री प्रतीक मील की स्वीकारोक्ति अभिलेख पर मौजूद है कि थानाधिकारी सूरतगढ़ शहर को दिनांक 16.04.2026 स्वयं परिवादिया से एवं दिनांक 28.04.2026 को जिला एसपी श्रीगंगानगर से महिला के साथ हुये संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त हो चुकी थी। ऐसे में दिनांक 10.05.2026 तक का इंतजार प्राथमिकी दर्ज करने हेतु क्यों किया गया इस सम्बन्ध में कोई समुचित कारण अभिलेख पर मौजूद नहीं है। यहां तक कि पूर्व की सभी स्थिति को दरकिनार भी कर दिया जाये तो जब न्यायालय द्वारा थानाधिकारी सूरतगढ़ शहर से रिपोर्ट तलब की गई तब तो थानाधिकारी द्वारा तत्काल अभियोग पंजीबद्ध किया जाना चाहिये था परन्तु उसने ऐसा भी नहीं किया। यहां तक कि आज दिनांक तक भी पीड़िता के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार न केवल भारतीय न्याय संहिता का अपराध अपितु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में प्रतिपादित आज्ञापक सिद्धान्तों की अवहेलना भी स्पष्ट रूप से दर्शित है क्योंकि पुलिस मुख्यालय राजस्थान पुलिस द्वारा जारी पत्रों के मुताबिक उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के उपरान्त अनेक परिपत्र एवं निर्देश जारी किये जाकर प्रत्येक पुलिस प्राधिकारी की कानूनी जिम्मेदारी तक महिला अपराध सम्बन्धी मामलों में तत्परता दिखाने, अभियोग बिना किसी विलम्ब

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

पंजीबद्ध किये जाने तथा निष्पक्ष एवं त्वरित अनुसंधान किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें यह निर्देश भी जारी है कि जब कभी पीड़ित की ओर से अपनी व्यथा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाई जाती है तब पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने कार्यालय से संज्ञेय अपराध विशेषकर जबकि मामला महिला अपराध से सम्बन्धित हो, में एफआईआर दर्ज कर सम्बन्धित थानाधिकारी को एफआईआर प्रेषित करेंगे और सम्बन्धित थानाधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध विशेषतः जबकि महिला से सम्बन्धित अपराध हों, में जांच कर सम्बन्धित दोषी पुलिस कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करेंगे। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक तक उक्त निर्देशों की अवहेलना प्रथम दृष्टया परीलक्षित है।

इसी दरमियान न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी सूरतगढ़ शहर को मार्फत कोर्ट एलसी न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर श्री सुभाष चन्द्र बरोला, पुलिस उपनिरीक्षक हाजिर अदालत आये जिनसे पूछे जाने पर उनका कहना रहा है कि पीड़िता के मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी श्री रमेशचन्द एचसी 2301 फिलहाल अवकाश पर हैं और उनके द्वारा बयान वगैरह भी पीड़ित पक्ष के लेखबद्ध किये गये हैं और पीड़िता के प्रकरण में जांच जारी है।

श्री बरोला द्वारा अदालत को यह भी अवगत करवाया गया है कि पुलिस उपअधीक्षक वृत्त सूरतगढ़ एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा स्पष्ट रूप से समस्त थानाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हुये हैं कि संज्ञेय अपराध विशेषकर जबकि मामला बालक, महिला तथा सीनियर सिटीजन से सम्बन्धित हो

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

अथवा महिला दुराचार से सम्बन्धित हो, तब आवश्यक रूप से एफआईआर पंजीबद्ध की जावे। हस्तगत मामले में एफआईआर पंजीबद्ध क्यों नहीं की गई इस सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द्र का कहना रहा है कि उनके पास अभी कुछ दिन पहले ही थाने का चार्ज आया है पहले थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर का चार्ज श्री दिनेश सारण पुलिस निरीक्षक के पास रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में वे ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं उनके द्वारा अदालत को यह आश्वस्त किया गया है कि अब जब तक उनके पास थाना सूरतगढ़ शहर का चार्ज रहेगा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

अब न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर भी विचार किया जाना है कि हस्तगत प्रकरण में कौन कौन से पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये जावें और एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करने से पूर्व क्या पुलिस प्राधिकारियों को सुना जाना कानूनन आवश्यक है अथवा क्या इस स्तर पर भी पुलिस प्राधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 का लाभ प्राप्त होगा।

जहां तक धारा 218 बीएनएसएस 2023 का प्रश्न है तो विधायिका की मंशा स्पष्ट रूप से ऐसे अपराधों के विषय में कड़ा रूख अपनाये जाने को लेकर इसी बात से स्पष्ट रूप से दर्शित होती है कि धारा 218 के परन्तुक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ''परन्तु यह और कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारार 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा

79, धारा 143, धारा 199 या धारा 200 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।''

अब यदि हम इस कानूनी पहलू पर भी विचार करें कि क्या इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये जाने से पूर्व पुलिसकर्मी जो कि लोक सेवक है, को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(4)(क)(ख) के तहत् सुनवाई का अवसर दिया जाये या वरिष्ठ पुलिस प्राधिकारी से जांच करवाई जावे।

इस सम्बन्ध में अभिलेख पर उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर श्री दिनेश सारण को सुनवाई का तथा उनका पक्ष रखने का अवसर जरिये पत्र क्रमांक 454 दिनांकित 12.05.2026 दिया गया था। इसके अतिरिक्त जिला एसपी श्रीगंगानगर को भी जांच के लिये आदेशित किया गया था जिसके सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट भी अभिलेख पर मौजूद हैं ऐसे में इस कानूनी निर्देश की पालना भी यद्यपि की जा चुकी है परन्तु यदि यह पालना यदि नहीं भी होती तो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 4629/2025 जो विशेष अनुमति याचिका दाण्डिक संख्या 5175/2025 उनवानी एक्सएक्सएक्स बनाम केरला राज्य व अन्य से व्युत्पन्न याचिका में प्रतिपादित किया गया है, उन सिद्धान्तों के ससम्मान अवलोकन उपरान्त प्राप्त मार्गदर्शन की रोशनी में भी इस न्यायालय के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर मौजूद है, सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के ससम्मान अवलोकन उपरान्त इसके पैरा संख्या 27 एवं 28 में

**मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्थिति को ज्यों का त्यों यहां उद्धारित किया जा रहा हैः—

OBJECT OF SECTION 175 (4)

(27) Sub-section (4) of Section 175 of the BNSS is a provision that was absent in the Cr.P.C. It reads as follows:

(4) Any Magistrate empowered under Section 210, may, upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, order investigation, subject to ----

(a) receiving a report containing fact and circumstances of teh incident from the officer superior to him; and

(b) after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged.

28. Sub-section (4) prescibes a special procedure to be followed before an order for investigation is made in case involving offences committed by a public servant "in course of the discharge of his official duties". Having regard to the modal verb "may", appearing in sub-section (4), a judicial magistrate has the discretion to order an investigation upon (i) calling for a report the incident from an officer superior to the accused

public servant; and (ii) considering the version of the public servant concerning the incident. It is "subject to" these conditions, that "(A)ny Magistrate...., may, ...", if satisfied of sufficient grounds existing, pass an order for investigation against the accused public servant.

इस प्रकार चूंकि तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर श्री दिनेश सारण, द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किये जाने बाबत् स्पष्ट रूप से साक्ष्य सामग्री अभिलेख पर मौजूद है अतः थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर को हुक्म जारी किया जाता है कि श्री दिनेश सारण पुलिस निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 199(क)(ग) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत् प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जावे।

जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को हुक्म जारी किया जाता है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर श्री दिनेश सारण के विरूद्ध दर्ज की जाने वाली प्राथमिकी में आरपीएस रैंक के पुलिस प्राधिकारी से जो वृत्त सूरतगढ़ से अतिरिक्त वृत्त के हों, अनुसंधान करवाया जाकर चूंकि सम्पूर्ण मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, एक माह के भीतर भीतर नतीजा अन्वेषण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

यदि अन्वेषण अधिकारी आदेश प्राप्ति की दिनांक से एक माह के भीतर अनुसंधान नतीजा पूर्ण कर पाने में असफल

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

रहता है तो वह मय स्पष्टीकरण व सीडी स्वतः ही हाजिर अदालत रहे। हाल एसएचओ सूरतगढ़ को निर्देश है कि वे न्यायालय आदेश प्राप्ति से तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को अवगत करवाये।

जहां तक वृत्ताधिकारी वृत्त सूरतगढ़ एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द्र बरोला, हाल थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखते हुये इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य के मामले में प्रतिपादित आज्ञापक दिशा निर्देशों की साशय अवहेलना बाबत् सीधे अवमानना प्रकरण दर्ज किये जाने का हुक्म हम फिलहाल जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे पूर्व इन दोनों ही पुलिस प्राधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। फलतः इस सम्बन्ध में दोनों पुलिस प्राधिकारियों को तहरीर जारी की जाकर स्पष्टीकरण मियादी दस दिवस तलब किया जावे। तामिल मार्फत थानाधिकारी सूरतगढ़ शहर करवाई जावे।

फौजदारी लिपिक हस्तगत परिवाद नियमानुसार फैसल कर सम्बन्धित रजिस्टर में इन्द्राज कर उपरोक्तानुसार इस्तगासा संबंधित थाना को नियमानुसार तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अभिलेख पर मौजूद सम्पूर्ण दस्तावेजात् की चार सत्यप्रतियां की जाकर एक सत्यप्रति श्री दिनेश सारण, सूरतगढ़ शहर के विरूद्ध दर्ज किये जाने वाले अभियोग में संलग्न किये जाने, द्वितीय सत्यप्रति न्यायालय के रिकॉर्ड के लिये तथा तृतीय सत्यप्रति

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर
एक्स बनाम रामू कुम्हार
परिवाद दर्ज संख्याः— /2026
अपराध अन्तर्गत धाराः 74, 78, 79, 115(2), 126(2) बीएनएस

अधोहस्ताक्षरकर्ता के निजी रिकॉर्ड के लिये तथा चतुर्थ मूल प्रकरण के रिकॉर्ड के लिये रखी जावे। कागजात् एफआईआर प्राप्त होने पर शामिल एफआईआर हों।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो नियमानुसार सीआईएस पर अपलोड हो।

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

मनमोहन चंदेल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर